

PATWAR

NOTES

राजस्व मण्डल, राजस्थान

भारत में आधुनिक भू—राजस्व प्रशासन को संचालित करने के लिए राजस्व मण्डल की स्थापना की शुरूआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। भारत में प्रथम राजस्व मण्डल की स्थापना ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा सन् 1786 में बंगाल प्रेसीडेन्सी में की गई। इसी वर्ष मद्रास में भी राजस्व मण्डल बनाया गया। चूँकि राजस्थान ब्रिटिश शासन के दौरान भी देशी रियासतों अर्थात् राजशाही ठिकानों द्वारा संचालित हो रहा था, अतः राजस्थान में राजस्व मण्डल की स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात् हुई। अधिसंख्य राज्यों में अब राजस्व मण्डल कार्यरत है। 1995 में राजस्व मण्डल को विघटित कर दिया है।

यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश प्रान्तों में राजस्व मण्डल का गठन हो चुका था किन्तु राजपूताना की रियासतें अपना भू—राजस्व एवं उसका प्रबन्धन जागीरदारों, सरदारों, सामन्तों तथा उनके बिचौलियों के माध्यम से करती थी। यह प्रणाली पूर्णतया मनमानी से भरपूर, निरंकुश, शोषण से परिपूर्ण तथा अव्यवस्थित थी। खेत जोतने वाला ही प्रायः भूमि का अस्थायी मालिक होता था किन्तु उस पर जागीरदार एवं राजा का नियंत्रण होता था। जब तक वह लगान देता था तब तक उसे भूमि से बेदखल नहीं किया जाता था। सिद्धान्ततः राजा ही भूमि का वास्तविक स्वामी था। राजा की भूमि खालसा कहलाती थी।

अतः विभिन्न रियासतों में बने प्रजामण्डलों के आन्दोलनों (1920—40) में किसानों ने सर्वाधिक योगदान दिया। विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वत्र भू—प्रबन्ध की अवहेलना तथा किसानों का शोषण ही अंततः साम्राज्यों या सरकारों के पतन का मुख्य कारण रहा है।

राजपूताना में सन् 1909 में बीकानेर तथा सन् 1942 में जयपुर रियासत ने राजस्व मण्डलों की स्थापना कर भू—प्रबन्ध को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया। राजस्थान में रियासतों के एकीकरण में पश्चात् 7 अप्रैल, 1949 को राजप्रमुख द्वारा एक अध्यादेश (1949 का 22 वाँ) के माध्यम से राजस्व मण्डल, राजस्थान की स्थापना की गई किन्तु मण्डल की वास्तविक स्थापना तिथि 1 नवम्बर, 1949 मानी जाती है। 1947 से 1949 के बीच संगठित हुई देशी रियासतों के द्वारा बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, मत्सय संघ तथा अन्य ठिकानों में बनाए हुए थे। भरतपुर में इसकी सिर्कट पीठें भी कार्य करती है। भरतपुर पीठ वर्ष 2010—11 में शुरू की गई थी।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सन् 1956 की धारा 4 तथा भू–राजस्व नियम, 1971 में किया गया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रवर्तन के पश्चात् राजस्व मण्डल अध्यादेश, 1949 निरसित हो गया है। वर्तमान नियमों के अनुसार राजस्व मण्डल का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला ऐसा आई.ए. एस. अधिकारी होता है।



PATWAR

NOTES

राजस्व मण्डल के अध्यक्ष का पद राज्य के मुख्य सचिव के समकक्ष है। मण्डल का अध्यक्ष, मण्डल के सुचारू संचालन तथा अधीनस्थ कार्यालयों एवं कार्मिकों पर नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। राजस्व मण्डल का अध्यक्ष तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों का नियुक्तिकर्त्ता एवं अनुशासन प्राधिकारी है।

मण्डल के कार्याधिक्य को देखते हुए सदस्यों की सख्या बढ़ाकर 7 और सन् 1978 में 10 कर दी गई थी। सन् 1986 में यह सख्या 15 की गई। सामान्यतः राजस्थान में राजस्व मण्डल के सदस्यों के सभी पद हमेशा भरे हुए नहीं रहते है। राजस्थान भू–राजस्व (राजस्व मण्डल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता तथा सेवा शर्ते) नियम, 1971 के तहत सदस्यों की सदस्यों की नियुक्ति होती है। राजस्व मण्डल में चार प्रकार के सदस्य होते है जिनकी श्रेणी तथा योग्यताएँ निम्नलिखित है।

सदस्य श्रेणी

- 1. भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग (6) (आई.ए.एस)
- 2. राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग (2) (आर.एच.जे.एस.)
- 3. अभिभाषक (एडवोकेट) (2)
- 4. राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग (11 सदस्य) (आर.ए.एस.)

योग्यता

राजस्थान संवर्ग का हो कम से कम 12 वर्ष राजस्थान में कार्य कर चुका हो।

राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग का हो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो।

ऐसा अभिभाषक जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने योग्य हो।

आर.ए.एस. में सुपर टाइम श्रृंखला प्राप्त हो।



PATWAR NOTES

चयन समिति में निम्नलिखित अधिकारी सम्मिलित है-

राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश – पदेन अध्यक्ष
राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष – पदेन सदस्य
राजस्थान राज्य का मुख्य सचिव – पदेन सदस्य
राजस्थान राजस्व मण्डल का अध्यक्ष – पदेन सदस्य
राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग का सचिव – सदस्य–सचिव

<u>पटवारी</u>

पटवारी का पद राजस्व प्रशासन में निम्नतम किन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दरअसल भू—राजस्व या लगान राजशाही व्यवस्थाओं की आमदनी का मुख्य स्त्रोत रहा है, अतः पटवारी का पद प्रत्यक्षतः राजा के खजाने से सम्बद्ध रहा है। पटवारी पदनाम सम्भवतः मुस्लिम शासकों की देन है लेकिन राजा के लिए भू—राजस्व एकत्र करने वाला यह कार्मिक उतना ही प्राचीन है जितनी कि राजशाही व्यवस्थाओं की ऐतिहासिक परम्परा। कहा जाता था कि—ऊपर करतार, नीचे पटवार' या 'ऊपर बनवारी, नीचे पटवारी'।

ग्राम स्तर पर कार्यरत इस राजस्व कर्मचारी को तिमलनाडु में करनम, महाराष्ट्र में तलस्ती या पटेल तथा उत्तरप्रदेश में लेखापाल कहा जाता है। ज्ञात रहे उत्तर प्रदेश में भी पटवारी पदनाम ही था किन्तु फरवरी, 1953 में राज्य के 27 हजार पटवारियों ने हड़ताल कर दी। तत्कालीन राजस्व मंत्री चौधरी चरणसिंह के समक्ष विरोध स्वरूप 21,700 पटवारियों ने अपने सामूहिक त्याग—पत्र प्रस्तुत कर दिए थे। चौधरी साहब ने अप्रत्याशित रूप से पटवारियों के त्याग—पत्र स्वीकार कर लिए तथा पटवारी पद समाप्त कर राजस्व कार्यों के लिए लेखापाल नामक पद सृजित किया। राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग (माथुर आयोग) ने भी पटवारी पदनाम को बदलकर लेखापाल करने का सुझाव दिया। राजस्थान में पटवारी का चयन राजस्व मण्डल द्वारा किया जाता हैं। पटवार प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात् पटवारी को गाँवों में नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः 7,500 एकड़ भूमि या 3,000 खसरों के क्षेत्र के गाँव एक पटवारी के अधीन रहते है।



PATWAR

पटवारी के कार्य (Function of patwari)

- 1. भू-अभिलेख संधारण
- 2. राजस्व सग्रंहण
- 3. भूमि सुधार
- 4. राजस्व अभियानों की क्रियान्विति
- 5. आपात सहायता
- 6. ग्रामीण विकास
- 7. अन्य कार्य

निष्कर्षतः पटवारी का पद राजस्व एवं ग्रामीण विकास प्रशासन में प्राथमिक तथा गंभीर दायित्वों से भरपूर है किन्तु स्थानीय क्षेत्र का निवासी होने के कारण प्रायः जातीय एवं वर्गीय आधारों पर भेदभाव एवं अकर्मण्यता के आरोप सुनने को मिलते है। विभिन्न प्रकार के न्यायालयों में चल रहे असंख्य भूमि विवाद स्वयं इस तथ्य को सिद्ध करते हैं की पटवारी द्वारा पूर्ण निष्ठा, निष्पक्षता तथा गंभीरता से भू—अभिलेख तैयार नहीं किए जाते है। लोकतांत्रिक एवं लोकल्याणकारी राज्य में पटवारी की कार्यशैली को परिवर्तित करना तथा उसे आम जनता के प्रति प्रतिबद्ध बनाना समय की माँग है। पटवारी पद राजस्व विभाग के साथ—साथ सिंचाई, उपनिवेश तथा सिंचाई विकास क्षेत्र विभाग में भी रहा है।